



राजस्थान सरकार

# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ जिला-जोधपुर

क्रमांक:- कोर्ट/2021/1793

दिनांक:- 28/12/2021

प्रेषित:- उपखण्ड अधिकारी बावड़ी

जिला-जोधपुर (राज.)

विषय:- प्रकरण संख्या 41/2010 ( पुनःदर्ज-2021/839 ) अनवान नथमल बनाम पारीदेवी के का.मु. अंतर्गत धारा 88.53.188 आरटीएक्ट की मूल पत्रावली आपके क्षेत्राधिकार में हाने से अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाने बाबत।

प्रसंग:- माननीय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक/2021/2262 दिनांक 02.11.2021 के क्रम में।

उपरोक्त विषय में लेख है कि माननीय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक/2021/2262 दिनांक 02.11.2021 के द्वारा पत्रावली प्रकरण संख्या 41/2010 अनवान नथमल बनाम पारीदेवी अंतर्गत धारा 88.53.188 आरटीएक्ट इस न्यायालय को दिनांक 08.11.2021 को प्राप्त हुई जिसकी आगामी सुनवाई तिथि माननीय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के निर्देशानुसार दिनांक 31.12.2021 नियत की गयी। प्रकरण में वादग्रस्त आराजी ग्राम सुरपुरा कलां में स्थित है जो कि वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी बावड़ी के क्षेत्राधिकार में आता है। अतः मूल पत्रावली प्रकरण संख्या 41/2010 ( पुनःदर्ज-2021/839 ) अनवान नथमल बनाम पारीदेवी के का.मु. अंतर्गत धारा 88.53.188 आरटीएक्ट आगामी सुनवाई तिथि 31.12.2021 अग्रिम कार्यवाही हेतु विशेष वाहक के साथ प्रेषित है। कृपया पावती रसीद भिजवाने की कृपा करावे।

संलग्न:- मूल पत्रावली पृष्ठ संख्या 01 से 225।

*[Handwritten Signature]*  
28/12/21

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
भोपालगढ़  
जोधपुर

आज्ञा से  
रीडर

*[Handwritten Signature]*  
28/12/2021  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी



★

देव

27/12/2024

श्रीमान,

श्रीमान श्री अरुण अच्युत  
कोपलगाव

म

विषय:- काढ्य उत्पादनातला वाटा

श्रीमान, मज विवेक हो ही आहे काढ्य वाटप / वाटप

काढ्याच्या 41/2010 R.R. कोपलगाव ही वाटप 2/11/21 ही

आपले वडील कोपलगाव आहे ही ही काढ्य को वाटप मिळते

ही काढ्य वाटप काढ्य अथवा काढ्य अथवा काढ्य

वाटप होण्या ही काढ्य अथवा काढ्य ही काढ्य

वाटप ही काढ्य ही काढ्य

नाथ  
अच्युत